रजिस्ट्री सं डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 1988/पौष 14, 1909
No. 9] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 1988/PAUSA 14, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a *separate compilation*

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त का कार्यालय

(भेषजिक उद्योग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1988

आदेश

का० आ० 16 (अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उप पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे

की सारणी के स्तम्भ 5 में यथा विनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग II के सूत्रयोग की, जिनकी प्रबलता और पैक आकार उसके स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, अधिकतम कीमत जब ब्रांड नाम से बेची जाएं, जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं हैं, नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं०	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक का आकार	अधिकतम कीमत (रु०)
1	2	3	4	5
1.	इंडो-क्लोरोहाइड्राक्सी क्विनोलीन टिकियां	250 मि०ग्रा०/टिकिया	20 का पत्ता	3.09
2.	डाई-आयोडो-हाइड्रोक्सी क्विनोलीन टिकियां	300 मि०ग्रा०/टिकिया	10 का पत्ता	2.20
3.	डाई-आयोडो-हाइड्रोक्सी क्विनोलीन टिकियां	300मि०ग्रा०/टिकिया	1000 का टिन/बोतल	162.24

[सं० 8(49)/87-पी०आई०-II)]

आर०एस० माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (पी०आई)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro Chemicals)

(Office of the Development Commissioner)

(Pharmaceutical Industry)

New Delhi, the 4th January, 1988

ORDER

S.O. 16(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the price as specified in column 5 of the Table below as the ceiling price exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Category II formulations specified in corresponding entry

in column 2 of the said Table when sold under brand name, with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Indochlorohydroxy Quinoline Tablets	250mg/Tablet	20's Strip	3.09
2.	Di-Iodo-hydroxyquinoline Tablets	300mg/Tablet	10's Strip	2.20
3	Di-Iodo-hydroxyquinoline Tablets	300mg/Tablet	1000's Tin/Bottle	162.24

[No.8 (49)/87-PI(II)]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. &
Development Commissioner(PI)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988